

कार्यालय, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद

आदेश सं०/सम्बद्धता/370


/2016-17 दिनांक: 30 जून, 2016

कार्यालय ज्ञाप

आदेश सं० 865/15-11-2016 शिक्षा अनुनाग-11 लखनऊ दिनांक 24.06.2016 द्वारा निजी संस्थान आई०पी० कॉलेज द्वितीय परिसर, एन०एच०-91, बुलन्दशहर दिल्ली रोड, जनपद-बुलन्दशहर को शासन द्वारा राज्य शिक्षा संचालन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा दो वर्षीय बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु दी गयी मान्यता नियमक निर्गत आदेश में अंकित शर्तों तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन शैक्षिक सत्र 2015-16 से 50 (पचास) सीटों की सम्बद्धता प्रदान की जाती है-

- 1) संस्थान द्वारा लगातार प्रान्त एवं सुरक्षित कोष को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय-समय पर संशोधित मानकों के अनुसार नवीनीकृत एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पक्ष में बन्धक रखना होगा।
- 2) जिन मानकों एवं शर्तों के अधीन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता एवं राज्य सरकार द्वारा सम्बद्धीकरण दिया गया है उसमें राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना संस्थान द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। संस्थान पर एन०सी०टी०ई० तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बनाए जाने वाले नियम लागू होंगे।
- 3) नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार भवन की उपयुक्तता एवं अग्निशमन से सम्बन्धित उपायों को संस्थान द्वारा मानकों के अनुसार सदैव सुनिश्चित किया जायेगा।
- 4) प्रशिक्षणार्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गयी प्रवेश प्रक्रिया, आरक्षण के नियम, परीक्षा शुल्क अन्य कोई भी कार्य, परीक्षा की समय-सारिणी तथा पाठ्यक्रम संस्थान पर बाध्यकारी होगा।
- 5) सम्बद्धता निर्गत होने के दो माह की अवधि में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानक के अनुसार विधिवत चयनित सहाय सदस्यों का अनुमोदन सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाना होगा। सहाय सदस्यों के बायोडाटा एवं अन्य सगस्त प्रमाण पत्रों तथा अन्य सूचनाओं को अनुमोदन हेतु सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। यह अभिलेख स्वामी होंगे, जिन्हें सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा स्थायी रूप से रखा जायेगा।
- 6) संस्थान द्वारा अपनी वेबसाइट राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की वेबसाइट के साथ हाइपरलिंक की जायेगी तथा अपेक्षित सूचनाओं का उल्लेख वेब-साइट पर किया जायेगा।
- 7) प्रश्नगत संस्थान को राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 13.04.2016 के कार्यवृत्त में की गयी संस्तुति के माध्यम पर बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु शैक्षिक सत्र 2015-16 से 50 (पचास) सीटों की सम्बद्धता प्रदान की जा रही है।

उपरोक्त सम्बद्धता भूनि भवन आदि के सम्बन्ध में एन०सी०टी०ई० के दिशा निर्देशों के अधीन होगी।



 श्रीमती (नीना श्रीवास्तव)
 सचिव
 परीक्षा नियामक प्राधिकारी
 उ०प्र०, इलाहाबाद। ५

पू०सं० / सम्बद्धता/4475-82

/2016-17 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. सचिव, बेसिक शिक्षा, उ०प्र०, शासन लखनऊ।
2. विभागीय सचिव, उ०प्र०, शासन, शिक्षा अनुनाग -11 लखनऊ।
3. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उ०प्र०, लखनऊ।
4. शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ०प्र०, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, चतुर्थ तल, जीवन निधि-11, एल०आई०सी० बिल्डिंग, भवानी सिंह मार्ग, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर-302005 (राजस्थान)।
6. प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, सम्बंधित जनपद।
7. प्रबन्धक/सचिव आई०पी० कॉलेज द्वितीय परिसर, एन०एच०-91, बुलन्दशहर दिल्ली रोड, जनपद-बुलन्दशहर।
8. गार्ड फाइल।


 श्रीमती (नीना श्रीवास्तव)
 सचिव
 परीक्षा नियामक प्राधिकारी
 उ०प्र०, इलाहाबाद। ५

प्रेषक-

राजेन्द्र सिंह,
उप सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद,
उ०प्र०, लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग-11

लखनऊ, दिनांक 24 जून, 2016

विषय- निजी संस्थान आई०पी० कॉलेज द्वितीय परिसर, एन०एच०-91, बुलन्दशहर, दिल्ली रोड, जनपद-बुलन्दशहर को बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु सम्बद्धता के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निजी संस्थान आई०पी० कॉलेज द्वितीय परिसर, एन०एच०-91, बुलन्दशहर, दिल्ली रोड, जनपद-बुलन्दशहर को शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा दो वर्षीय बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु दी गयी मान्यता विषयक निर्गत आदेश में अंकित शर्तों तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन शैक्षिक सत्र 2015-16 से 50 (पचास) सीटों की सम्बद्धता प्रदान की जाती है-

- (1) संस्थान द्वारा लगातार प्रामाण्य एवं सुरक्षित कौम को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय-समय पर संशोधित मानकों के अनुसार नवीनीकृत एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पक्ष में बन्धक रखा होगा।
- (2) जिन मानकों एवं शर्तों के अधीन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता एवं राज्य सरकार द्वारा सम्बद्धीकरण दिया गया है उसमें राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना संस्थान द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। संस्थान पर एन०सी०टी०ई० तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बनाए जाने वाले नियम लागू होंगे।
- (3) नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार भवन की उपयुक्तता एवं अग्निरामन से सम्बन्धित उपायों को संस्थान द्वारा मानकों के अनुसार सदैव सुनिश्चित किया जायेगा।
- (4) प्रशिक्षणार्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गयी प्रवेश प्रक्रिया, आरक्षण के नियम, परीक्षा शुल्क, अन्य कोई भी चार्ज, परीक्षा की समय-सारिणी तथा पाठ्यक्रम संस्थान पर बाध्यकारी होगा।
- (5) सम्बद्धता निर्गत होने के दो माह की अवधि में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानक के अनुसार विधिवत चयनित संकाय सदस्यों का अनुमोदन सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाना होगा। संकाय सदस्यों के बायोडाटा एवं अन्य समस्त प्रमाण पत्रों तथा अन्य सूचनाओं को अनुमोदन हेतु सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। यह अभिलेख तैयारी होगी, जिन्हें सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा तैयारी रूप से रखा जायेगा।
- (6) संस्थान द्वारा अपनी वेबसाइट राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की वेबसाइट के साथ हाइपरलिंक की जायेगी तथा अपेक्षित सूचनाओं का उल्लेख देब-साइट पर किया जायेगा।
- (7) प्रस्तुत संस्थान को राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 13.04.2016 के आर्क्युल में की गयी संस्तुति के आधार पर बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु शैक्षिक सत्र 2015-16 से 50 (पचास) सीटों की सम्बद्धता प्रदान की जा रही है।

उपरोक्त सम्बद्धता भूमि भवन आदि के सम्बन्ध में एन०सी०टी०ई० के दिशा निर्देशों के अधीन होगी।

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव।

संख्या- 865 (1)/15-11-2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, हंस नवन, 01 गहादुर ग्राह जफर मार्ग, नई दिल्ली, पिन-110002
- 2- क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, चौथे मंजिल, जीवन निधि-II एल०आई०सी० बिल्डिंग, अम्बेडकर सर्किल, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर, राजस्थान, पिन-302005।
- 3- सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 4- प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जनपद-बुलन्दशहर।
- 5- सचिव/प्रबंधक, आई०पी० कॉलेज द्वितीय परिसर, एन०एच०-91, बुलन्दशहर, दिल्ली रोड, जनपद-बुलन्दशहर।
- 6- माई फाइल।

आज्ञा से
Downed
(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव।

TO BE PUBLISHED IN GAZETTE OF INDIA PART-III, SECTION 4

File No. NRC/NCTE/NRCAPP- 3999/2925/2909/3264/3132/3590/3547/3215
/ 233rd (Part- V) Meeting/2015

Dated - **3 MAR 2015**

RECOGNITION ORDER 189777

WHEREAS in terms of section 14(1)/15(1) of the NCTE Act, 1993, the institutions had submitted applications to the Northern Regional Committee of NCTE for grant of recognition for Teacher Education Courses.

2. AND WHEREAS on scrutiny/perusal, veracity of the facts & figures as per the application submitted by these institutions, the documents attached therewith, the affidavit and the input received from the visiting team in the form of visiting team report including videography and also the reply submitted by the institution against letter of intent under clause 7(13) of the NCTE Regulations, 2014 (earlier 7(9) of the NCTE Regulations, 2009), the Northern Regional Committee in its 233rd meeting from February 18, 2015 (Part-V) is satisfied that the institution/society fulfils the requirements under the provisions of NCTE Act, Rules and relevant Regulations including the Norms and Standards for the concerned Teacher Education Programme such as instructional facilities, infrastructural facilities, library, accommodation, financial resources, laboratory, etc. for running the programme and has selected/appointed duly qualified teaching staff as per NCTE norms.

3. NOW, THEREFORE, in exercise of the powers vested under Section 14(3)(a)/15(3)(a) of the NCTE Act, 1993, the Northern Regional Committee hereby grants recognition to the following Institutions for conducting Teacher Education Course with an annual intake mentioned against their names from the academic session 2015-2016 under clause 7(16) of NCTE (Recognition Norms & Procedure) Regulations, 2014 subject to fulfilment of the conditions mentioned below :-

S. No.	File No.	Name of the Institution	Course	Duration	Approved annual intake	Name of the Affiliating Body
1.	NRCAP P-3999	Sri Harihar Ji Public School, Plot/Khasara No.- 3165, Street/Road-36/12, Village- Faraha, Post Office-Paraha, Tehsil/Taluka- Nizamabad, Town/City- Azamgarh, District-Azamgarh, Pin Code- 223227, State-Uttar Pradesh	D.El.Ed.	2 years	50 (1 units)	SCERT, Nishatganj, Lucknow, Uttar Pradesh
2.	NRCAP P-2925	Babu Musafir Singh BTC Prashikshan Sansthan, Plot/Khasara No.360,394, Plot No.360,394, Street Number-NA, Vill- Kaithi, Post Office- Gurera, Teh/Taluka-Sakaldeooha, Town/City-Chandauli, Dis- Chandauli, State- UP, Pin- 232109	D.El.Ed.	2 years	50 (1 units)	SCERT, Nishatganj, Lucknow, Uttar Pradesh
3.	NRCAP P-2909	I P College campus 2 Plot/Khasara No.190/187,Plot No-190,Street Number- NH 91,Vill-Dariyapur, Post Office-Dariyapur, Teh/Taluk-Sadar, Town/City-Bulandshahr, Dist-Bulandshahr, State-UP, Pin-203001	D.El.Ed.	2 years	50 (1 units)	SCERT, Nishatganj, Lucknow, Uttar Pradesh
4.	NRCAP	KVS Sansthan, Plot/Khasara No- 91, 42,	D.El.Ed.	2 years	50	SCERT,

Encl:- As above
 The Manager to Govt. of India,
 Department of Publications, (Gazette Section)
 Civil Lines, Delhi - 110 054

Copy to:-

1.	The Manager/Secretary/Principal:- Sri Harihar Ji Public School, Plot/Khasara No.- 3165, Street/Road- 36/12, Village- Fariha, Post Office- Fariha, Tehsil/Taluka- Nizamabad, Town/City- Azamgarh, District- Azamgarh, Pin Code- 223227, State- Uttar Pradesh	
2.	The Manager/Secretary/Principal:- Babu Musafir Singh BTC Prastikshan Sansthan, Plot/Khasara No.360,394, Plot No.360,394, Street Number-NA, Vill- Kaithi, Post Office- Gurera, Teh/Taluka-Sakaldecha, Town/City-Chandauli, Dist- Chandauli, State- UP, Pin- 232109	
3.	The Manager/Secretary/Principal:- IP College campus 2 Plot/Khasara No.190/187, Plot No. -190, Street Number- NH 91, Vill-Dariyapur, Post Office-Dariyapur, Teh/Taluk-Sadar, Town/City- Bulandshahr, Dist-Bulandshahr, State-UP, Pin-203001	
4.	The Manager/Secretary/Principal:- KVS Sansthan, Plot/Khasara No- 91, 42, 43, Vill- Baksapur, Post Office- Baksapur, Tehsil- Jakhaniyan, Dist- Ghazipur, Pin Code-275204, UP.	
5.	The Manager/Secretary/Principal:- Bala Ji College, Plot/Khasara No. 315, Plot No. -315, Street Number-315, Vill-Bhabhaura, Post Office- Aurihar, Teh/Taluk-Ghazipur, Town/City- Ghazipur, Dist- Ghazipur, State-UP, Pin-233221	
6.	The Manager/Secretary/Principal:- Thakur Tej Singh College of Education Plot/Khasara No-748, Plot No. 748, Street Number-Kakarari, Vill-Kakarari, Post Office- Kakua, Teh/Taluk-Sadar, Town/City- Agra, Dist- Agra (UP), State-UP, Pin-282001	
7.	The Manager/Secretary/Principal:- Ma Israjee Devi BTC Mahavidhyalaya Plot No. 133,330,258, Khasara NO. 133,330,258, Street Number-Surtasapur, Village/Town- Surtasapur, Post office- Guljarganj, Tehsil/Taluka- Machhali Sahar, Town/City- Guljarganj, State- UP, District- Jaunpur(UP), Pin Code -222135	
8.	The Manager/Secretary/Principal:- Jain College of Education Plot No. 2343, 2348, Muzaffarnagar Road, Banat, Shamli, Dist. Muzaffarnagar (U.P.) 247776	
9.	The Principal Secretary, Govt. of Uttar Pradesh, (Basic Education Department), Sachiv Bhawan, Lucknow - 226001, Uttar Pradesh	with a request to ensure compliance of the terms & conditions as laid down above.
10.	The Director, SCERT, Noida/ganj, Lucknow, Uttar Pradesh	with a request to ensure that admission are made by the institutions as per the size of unit and intake mentioned in the recognition /permission order and compliance of other terms and conditions as laid down above.
11.	The Secretary, Department of School Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Govt. of India, Shastri Bhawan, New Delhi- 110001	
12.	The US (Computer), National Council for Teacher Education, Hans Bhawan Wing-II, J, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi- 110 002.	
13.	Computer Section of NRC, NCTE, Jaipur for upload the same of NRC website.	
14.	Office order file/ Institution file.	


 Regional Director